निरीक्षण (Inspection)

गाड़ी के संचालन में गतिशीलता, समयबद्धता, संरक्षा तथा नियमों का समुचित पालन करने के लिए किये जाने वाले प्रयास को निरीक्षण कहते हैं। अर्थात निरीक्षण के द्वारा ही किसी संस्थान अथवा उसके कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है।

निरीक्षण के उद्देश्य (Objects of Inspections)

(i) गलती से होने वाले भयानक दुष्परिणामों से कर्मचारियों को अवगत कराना।
(ii) पूर्व में किये गये निरीक्षणों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
(iii) दुर्घटनाओं के समय किये जाने वाले राहत एवं बचाव कार्य से सम्बंधित ज्ञान की जाँच करना।
(iv) कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना।
(v) गाड़ियों के संचालन में समयबद्धता लाना।
(vi) नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
(vii) गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों को सजा देना।
(viii) नियमों के प्रति कर्मचारियों की जागरूकता।
(ix) कर्मचारियों की समस्याओं का पता लगाकर समाधान करना।
(x) गाड़ी संचालन में संरक्षा की महत्वता को बढ़ावा देना।
(xi) कर्मचारियों की अनियमितता एवं कमियों को उजागर कर स्नही निर्देश देना।

निरीक्षण के प्रकार (Types of Inspection)

(i) नियमित निरीक्षण (Regular Inspection)
(ii) संरक्षा निरीक्षण (Safety Inspection)
(iii) रात्रि निरीक्षण (Night Inspection)
(iv) अचानक निरीक्षण (Surprise Inspection)
(v) अचानक रोड़ द्वारा निरीक्षण (Surprise Inspection by Road)
(vi) अचानक गति चेक (Surprise Speed Check)
(vii) एम्बुस चेक (Ambush Check)
(viii) अकेले फुटप्लेट निरीक्षण (Individual Foot Plate inspection)
(ix) संयुक्त फुटप्लेट निरीक्षण (Joint Foot Plate Inspection)
(x) लेवल क्रॉसिंग निरीक्षण (Level Crossing Inspection)
(xi) चलती गाड़ी निरीक्षण (Running Train Inspection)
(xii) रनिंग रूम निरीक्षण (Running Room Inspection)
(xiii) लोको शैड निरीक्षण (Loco Shed Inspection)
(xiv) सी. एंड डब्ल्यू. डिपो निरीक्षण (C&W Depot Inspection)
(xv) ब्रेक डाऊन निरीक्षण (ART Inspection)
(xvi) मेडिकल वैन निरीक्षण (ARME Inspection)

1. नियमित निरीक्षण (Regular Inspection)

(i) यह निरीक्षण 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

(ii) यह निरीक्षण जनवरी से जून, एवं जुलाई से दिसम्बर के अनुसार किया जाना चाहिए।

(iii) यह निरीक्षण Sr.DOM, DOM, AOM, SM, तथा TI द्वारा किये जाते हैं।

(iv) ऐसे निरीक्षण में निम्नलिखित तथ्यों की जाँच की जाती है:-

- ✓ पिछले निरीक्षण पर की गई कार्यवनही की आुपालना।
- ✓ SWR, आवश्यक उपकरण, स्टेशन डायरी, शंटिंग, पैनल इटरलॉकिंग, RRI के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी ।
- ✓ संरक्षा गोष्ठी, रात्रि निरीक्षण व संरक्षा परिपत्र।
- ✓ स्टॉक की माँग व पूर्ति।
- ✓ केबिन रजिस्टर, केबिन पर सिगनलों का संचालन।
- ✓ सतर्कता आदेश रजिस्टर।
- ✓ शिकायत व सुझाव पुस्तिका।
- ✓ असमान्य परिस्थितियों में गाड़ियों का संचालन।
- ✓ दुर्घटना रजिस्टर, पटाखा रजिस्टर, नियम पुस्तकें, वैगन माँग रजिस्टर, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर, गाड़ी सिगनल रजिस्टर।
- ✓ लैम्प रूम, हाथ बत्तियां, एवं संकेतों की सफाई।
- ✓ समपार फाटक का संचालन।
- ✓ गाड़ियों का उचित मार्शलिंग।
- ✓ आग बुझाने के उपकरण।
- ✓ गार्ड मुख्यालय पर गार्ड से सम्बंधित कार्यों की जाँच।
- ✓ बायोडाटा रजिस्टर से रिफ्रेशर कोर्स, PME, सेफ्टी केम्प, व BCC, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि में ओवर ड्यू कर्मचारियों की जाँच।

2. संरक्षा निरीक्षण (Safety Inspection)

(i) यह निरीक्षण कम से कम म्नहीने में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

(ii) यातायात निरीक्षक द्वारा अधिक से अधिक दो बार व कम से कम म्नहीने में एक बार आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(iii) निर्धारित फार्म पर रिपोर्ट बनाकर मंडल संरक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

(iv) पैनल इटरलॉकिंग व RRI के काउंटरों की जांच करना।

(v) Sr.DSO द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार मंडल के प्रत्येक स्टेशन का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(vi) अन्य परिचालन अधिकारी भी यह निरीक्षण करते हैं।

(vii) इसमें निम्नलिखित जाँच आवश्यक है :-

- ✓ संरक्षा गोष्ठी, परिपत्र तथा स्लोगा।
- ✓ स्टेशन मास्टर द्वारा रात्रि निरीक्षण।

- ✓ कर्मचारी आश्वासन रजिस्टर में हस्ताक्षर।
- ✓ रेल पथ व्यवस्था का अवलोकन।
- ✓ SWR के अनुसार संरक्षा उपकरणों के पूर्ण एवं कार्यशील अवस्था की जाँच।
- ✓ S&T डिस्कोक्शन एवं रिकोक्शन मेमो की जाँच।
- ✓ संयुक्त काँटा एवं क्रॉसिंग जाँच रजिस्टर।
- ✓ गाड़ी संचालन से सम्बंधित रजिस्टर।
- ✓ गाड़ियों के स्टेशन पर आगमन व प्रस्थान की विधि।
- ✓ स्टेशन डायरी, प्राईवेट नम्बर शीट।
- ✓ स्टेशन पर सिगनल विफलता रजिस्टर, वैयक्तिगत विवरण, सतर्कता आदेश रजिस्टर, रात्रि निरीक्षण रजिस्टर व केरोसीा रजिस्टर की जाँच।

3. रात्रि निरीक्षण (Night Inspection)

(i) यह निरीक्षण पखवाड़े में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

(ii) यह निरीक्षण रात्रि में 0 से 4 बजे के बीच करना चाहिए।

(iii) अधिकारियों व निरीक्षको द्वारा यह निरीक्षण कार्यरत कर्मचारियों की सतर्कता एवं अनियमितताओं की जाँच करने हेतु किया जाता है।

(iv) SS/SM को भी पूरे स्टेशन का रात्रि निरीक्षण कर अनियमितताओं का निराकरण करना चाहिए।

(v) इस निरीक्षण में निम्नलिखित जाँच की जाती है :-

- ✓ सिगनल लेम्प, सिगनल, पॉईंट व ट्रेप इंडीकेटर एवं हाथ बत्तियां सही जल रही है या नही।
- ✓ शंटिंग इंजन पर मार्कर लाइट जल रही है या नही।
- ✓ कर्मचारी ड्यूटी पर सतर्क एवं पूर्ण यूानीफॉर्म में तैाात हैं।
- ✓ ब्लॉक उपकरण को आाधिकृत व्यक्ति तो संचालित नही कर रहा है।
- ✓ यात्री गाड़ी आो के समय प्लेटफॉर्म पर लाइट सही जल रही है।
- ✓ शंटिंग के समय आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

4. अचानक निरीक्षण (Surprise Inspection)

(i) यह बिना पूर्व सूचना के अचानक किया जाने वाला निरीक्षण है।

(ii) यह एक माह मे कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

(iii) कमियों और अनियमितताओं को उजागर करना।

(iv) अधिकारियों व निरीक्षकों द्वारा किसी भी गाड़ी से यात्रा करते समय या अचानक स्टेशन/गेट पर जाकर गाड़ी संचालन पद्धति एवं कर्मचारियों की सतर्कता की जाँच करना।

(v) कर्मचारियों को नियमों एवं कार्यकुशलता के प्रति जागरूकता लाना।

(vi) टिकट खिड़की, स्टेशन मास्टर के कार्य, केबिन स्टाफ, रनिंग स्टाफ, यातायात एवं इंजीनियरिंग गेट का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

5. अचानक रोड़ द्वारा निरीक्षण (Surprise Inspection by Road)

(i) यह बिना पूर्व सूचना के अचानक किया जाने वाला निरीक्षण है।

(ii) यह एक माह मे कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

(iii) कमियों और अनियमितताओं को उजागर करना।

(iv) यह निरीक्षण रोड़ से अचानक जाकर किया जाता है।

(v) यह निरीक्षण Sr.DOM/DOM,Sr.DSO/DSO,AOM(G), तथा TI द्वारा एक माह में एक बार किया जाना चाहिए।

6. अचानक गति चेक (Surprise Speed Check)

(i) गाड़ी की अधिकतम स्वीकृत गति की जाँच ।

(ii) प्रत्येक सेक्शन पर प्रति माह निर्धारित निरीक्षण किए जाने चाहिए ।

(iii) पाँच आकस्मिक गति जाँच परिचालन प्रबंधक, परिवहन निरीक्षक, लोको अधिकारी, लोको निरीक्षक, तथा इंजीयिरिंग अधिकारी, इंजीयिरिंग निरीक्षक द्वारा किये जाने चाहिए।
कुल मिलाकर 30 (6X5=30)

(iv) आवश्यक जाँच:-

- ✓ अस्थाई गति प्रतिबंध में सेक्शन में चलती हुई गाड़ी की गति की जाँच।
- ✓ फेसिंग पॉईंट पर गति की जॉच।
- ✓ स्थाई गति प्रतिबंध की जाँच।
- ✓ गोलाई में गाड़ी की गति की जाँच।

7. छापामार निरीक्षण (Ambush Check)

(i) यह निरीक्षण दिन और रात दोनो समय किया जा सकता है। दिन और रात दोनो समय महीने में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

(ii) यह स्वचल सिगनल/IBS सिगनल को ऑन में पार करते समय नियमो की सही पालना सुनिश्चित करता है।

(iii) वह समयावधि जितने समय चालक सिगनल को ऑन स्थिति में खड़े रहने के लिए निर्धारित है, तक रुकता है या नही।

(iv) चालक द्वारा उचित संकेत से सीटी बजाई जाती है या नही।

(v) गार्ड से हैंड सिगनल बराबर आदान-प्रदान करता है या नही।

(vi) चालक अधिक गति से गाड़ी संचालन तो नही कर रहा है।

(vii) AWS सही तरह से कार्य कर रहा है या नही।

(viii) मोटर मेन सही घंटी बजाते है या नही।

(ix) परिवहन निरीक्षक द्वारा मानव रहित समपार फाटक का एक माह में दो बार यह निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(x) मानव रहित समपार फाटक का यह निरीक्षण संयुक्त रुप से रेलवे पुलिस, आर.टी.ओ.स्टाफ, रेलवे पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाता है। इस समपार को पार करने के नियम का उल्लंघन करने पर, सड़क यातायात पार करने व पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना या लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है।

8. अकेले फुटप्लेट निरीक्षण (Individual Foot Plate inspection)

9. संयुक्त फुटप्लेट निरीक्षण (Joint Foot Plate Inspection)

(i) अधिकारियों या निरीक्षको द्वारा गाड़ी के इंजन में अकेले या संयुक्त रूप से ऐसा निरीक्षण किया जा सकता है।

(ii) इसमें कर्मचरियों की कार्यकुशलता, नियमों का सही उपयोग तथा सिगनल, इंजन व ट्रेक की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है।

(iii) Sr.DOM/DOM, DSO, AOM(G) को कम से कम एक माह में एक बार अवश्य करना चाहिए।

(iv) इस निरीक्षण में हैड लाइट, फ्लेशर लाइट, मार्कर लाइट, केब लाइट, सामने वाला कॉच, स्पीडोमीटर, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी फोन आदि की जाँच की जाती है।

(v) हैंड सिगनल लेम्प, पटाखे, चश्मा, नियम पुस्तकें, आवश्यक सक्षमता प्रमाण-पत्र एवं सतर्कता आदेश इत्यादि की जॉच की जाती है।

(vi) सेक्शन में ओ.एच.ई. फिटिंग अपनी जगह सही है या नही।

(vii) परिवहन निरीक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण 6 माह में एक बार अप, डाऊन, दिन, एवं रात में अलग-अलग किया जाना चाहिए।

(viii) अकेले फुटप्लेट निरीक्षण परिवहन निरीक्षक द्वारा प्रत्येक सेक्शन पर एक माह में माल एवं सवारी गाड़ी में अलग-अलग किया जाना चाहिए।

10. लेवल क्रॉसिंग निरीक्षण (Level Crossing Inspection)

(i) स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर द्वारा तीन माह में एक बार दिन में तथा रात में भी निरीक्षण करना चाहिए।

(ii) गेटमेंन की यूनीफॉर्म, गेट सक्षमता प्रमाण-पत्र, पी.एम.ई., रिफ्रेशर कोर्स ड्यू तो नही है।

(iii) ड्यूटी रजिस्टर व ड्यूटी लिस्ट, शिकायत व सुझाव पुस्तिका, नियम पुस्तकें, पटाखे, व अन्य उपकरण बराबर हैं या नही।

(iv) गेट सिगनल संचालन के नियमों की जानकारी।

(v) गेट टेलीफोन सही कार्य कर रहा है या नही।

(vi) गेट सिगनल इंटरलॉकिंग बराबर है या नही।

11. चलती गाड़ी निरीक्षण (Running Train Inspection)

(i) यह निरीक्षण डयूटी के दौरान परिचालन अधिकारी या निरीक्षक द्वारा गाड़ी में यात्रा के दौरान किये जाते हैं।

(ii) यह निरीक्षण गार्ड, चालक, स्टेशन स्टाफ, गेटमेन एवं अन्य कर्मचारियों की सतर्कता की जाँच करने के लिए किया जाता है। यह निरीक्षण जितना सम्भव हो सके बारम्बार किये जाने चाहिए।

(iii) यह निरीक्षण Sr.DOM/DOM, AOM, Sr.DSO/DSO, AOM(G), AM/AO एवं यातायात निरीक्षक द्वारा किये जाते हैं।

12. रनिंग रूम निरीक्षण (Running Room Inspection)

(i) Sr.DOM, Sr.DME, Sr.DEN, Sr.DEE को संयुक्त या अकेले वर्ष में एक बार तथा परिवहन निरीक्षक द्वारा माह में एक बार निरीक्षण अवश्य किया जाा चाहिए।

(ii) DSO के चार्ज वाले रनिंग रूम का निरीक्षण वर्ष में एक बार DSO अपने Sr.DOM द्वारा Sr.DEN z̲Ô Sr.DEE, Sr.DME के साथ अवश्य करना चाहिए।

(iii) आवश्यक जाँच:-

- ✓ पंखे लाइट सही काम कर रहे है या नही।
- ✓ आवश्यक कपड़े साफ हैं या नही।
- ✓ रनिंग रूम में पूरा स्टाफ आराम करता है या नही।
- ✓ कोई अनाधिकृत व्यक्ति रनिंग रूम का गलत उपयोग तो नही कर रहा है।
- ✓ रनिंग रूम में कोई गलत गतिविधियां जैसे - शराब पीना, जुआ खेलना आदि तो नही चल रहा है।
- ✓ रनिंग रूम के स्नान घर, शौचालय की साफ सफाई की जाँच।
- ✓ रनिंग रूम वेटर का कार्य संतोषप्रद है या नही।

13. लोको शैड निरीक्षण (Loco Shed Inspection)

(i) लोको शेड का निरीक्षण तीन माह में एक बार अवश्य होना चाहिए।

(ii) यह निरीक्षण Sr.DSO/DSO और AOM(G) द्वारा किया जाता है।

14. सी. एंड डब्ल्यू. डिपो निरीक्षण (C&W Depot Inspection)

(i) सी. एंड डब्ल्यू. डिपो का निरीक्षण तीन माह में एक बार अवश्य होना चाहिए।

(ii) यह निरीक्षण Sr.DSO/DSO और AOM(G) द्वारा किया जाता है।

15. ब्रेक डाऊन निरीक्षण (ART Inspection)

(i) ब्रेक डाऊन निरीक्षण का निरीक्षण तीन माह में एक बार अवश्य होना चाहिए।

(ii) यह निरीक्षण Sr.DSO/DSO और AOM(G) द्वारा किया जाता है।

16. मेडिकल वैन निरीक्षण (ARME Inspection)

(i) मेडिकल वैन का निरीक्षण तीन माह में एक बार अवश्य होना चाहिए।

(ii) यह निरीक्षण Sr.DSO/DSO और AOM(G) द्वारा किया जाता है।

Schedule of Inspections by Operating/Safety Officers and Transportation Inspectors

Sr. No.	Type/Nature of Inspections	Sr DOM/DOM	Area Manager/ Area Officer	AOM(M)	Sr DSO/DSO	AOM (G)	TI's
1	Regular Inspection- Half yearly	2 important Stations as Nominated by The DRM	2 important Stations as Nominated by The DRM	2 important Stations as Nominated by The DRM	2 important Stations as Nominated by The DRM	2 important Stations as Nominated byThe DRM	All station In Their Jurisdiction Once in Three months
2	Safety inspection			1 station Every month	4stations Every month	6 stations Every month	All station In their Jurisdiction Every month
3	Surprise Inspection	No Quota	No Quota	Minimum 2 stations Per month	As often as Possible (minimum 2 every Month)	As often as Possible (minimum 3 Every Month)	As often as Possible (minimum 6 every Month)
4	Night Inspections- 1.Level Crossing 2.Station 3.Footplate On goods Train	1 per month each	1 per month each	1 per month each	2 per month each	2 per month each	3 per month each
5	Level Xing During day time	1 per month	1 per month	1 per month	2 per month	2 per month	3 per month
6	Surprise Inspections by Road	1 per month	1 per month		1 per month	1 per month	1 per month
7	Individual Foot plate Inspections	1 section per Month by both 1.Mail Express & Goods Train	1 section per Month by both 1.Mail Express & Goods Train	1 section per Month by both 1.Mail Express & Goods Train	1 section per Month by both 1Mail Express & 2 Goods Train	1 section per Month by both 1Mail Express & 2 Goods train	1 section per Month by both 1Mail Exp. & 3Goods Train
8	Joint Foot Plate Inspection				One section Every quarter Covering the Entire division Once a year. Up and down Separately by Day and Night	One section Once amonth Covering the Entire division Once a year. Up and down Separately by Day and Night	One section Once a month Covering the Entire division Once in 6 months Up and down Separately by Day and Night
9	Surprise Speed checks	No quota	No quota	No quota	3 per month	3 per month	5 per month
10	Running Room Inspections	1 major running Room as Identified by DRM-once (alongwith SrDEN and Sr.DEE	1 major running Room as Identified by DRM-once (alongwith SrDEN and Sr. DEE	All running Rooms Under Sr./DSOs Charge of Mechanical &Electrical Dept along With AEN,AEE& AME	All running Rooms Under Sr./DSOs Charge of Mechanical &Electrical Dept along with SrDEN, & Sr DEE	All running Rooms Under Sr./ DSOs Along With AEN & AEE	Each Running Room under their jurisdic-tion once a month.
11	Ambush checks in Automatic Signaling Territories		One during day And One during Night	Once in a month	One during day And One during Night	One during day And One during Night	One during day And One during Night
12	Running Trains inspections	As often as possible	As often as possible	As often as possible	As often as possible	As often as possible	As often as possible
13	Loco shed Inspection				One shed every 3 months	One shed every 3 months	
14	C&W Depot Inspection				One Depots every 3 months	One Depots every 3 months	
15	ARME Inspection				1 Medical van every quarter	1 Medical van every quarter	
16	ART Inspection				1 ART every quarter	1 ART every quarter	

दुर्घटना जाँच (Accident Inquiry)

1) सूचना एकत्रित करना (Information to be collected) (AM-702)

(i) प्रत्येक दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना के कारणों से सम्बंधित विशिष्ट महत्वपूर्ण जानकारी तत्काल एकत्रित की जानी चाहिए। जो कि दुर्घटना स्थल की साफ सफाई के बाद और यातायात सामान्य हो जाने पर ऐसी जानकारी उपलब्ध नही होगी।

(ii) दुर्घटना स्थल पर उपस्थित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दुर्घटना के कारणों का पता जाँच समिति द्वारा लगाने के लिए आवश्यक ऐसी जानकारी सफाई आरंभ करने से पहले एकत्रित कर ली गई है।

2) जाँच का वर्गीकरण (Classification of Inquiries) (AM-704)

(i) जाँच आयोग (Commission of Inquiry) :- गंभीर दुर्घटना के मामले में केन्द्र सरकार जाँच आयोग अधिनियम-1952 (1952 का 60 वां) के अर्न्तगत जाँच आयोग नियुक्त कर सकती है।

(ii) रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच (Commissioner of Railway Safety s Inquiry) :- ऐसी किसी भी दुर्घटना के बारे में जिसे इस प्रकार की जॉच के लिए काफी गंभीर समझे, जॉच के आदेश दे सकता है, और उसकी स्वयं जॉच कर सकता है। CRS जॉच करने के अपने आशय की सूचना GM / CSO को देंगे और साथ ही जॉच की तारीख, समय एवं स्थान के बारे में सूचित करेंगे।

(iii) न्यायिक जॉच (Magisterial Inquiry) :- रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना के मामले में जिला न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश, स्वयं जाँच कर सकता है या अपने अधीनस्थ न्यायाधीश को प्रतिनियुक्त कर सकता है या पुलिस द्वारा सीधी जाँच की जाने के आदेश दे सकता है।

(iv) संयुक्त जाँच (Joint Inquiry) :- जब भी रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना घटित हो तो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कारणों की पूरी-पूरी छानबीन करने के लिए एक संयुक्त जाँच की जाएगी।

(v) विभागीय जाँच (Departmental Inquiry) :-

(क) अधिकारियों द्वारा जाँच (Officers Inquiry) :- रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना की संयुक्त जाँच /न्यायिक जाँच / CRS जाँच न की जाय तो दुर्घटना के कारणों को निश्चित करने के लिए एवं जिम्मेदारी तय करने के लिए अधिकारियों द्वारा विभागीय जाँच आयोजित की जाएगी।

(ख) वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा जाँच (Sr. Supervisor Inquiry) :- DSO / Sr.DSO / DRM द्वारा गठित वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की समिति द्वारा सभी यार्ड दुर्घटनाओं की जाँच की जाएगी।

नोट : CRS यदि चाहे तो उपरोक्त सभी जाँचों या किसी एक जाँच के समय उपस्थित रह सकता है।

3) जाँच के उद्देश्य (Objects of Inquiry) (AM-713)

(i) दुर्घटना का कारण निश्चित करना।

(ii) दुर्घटना की जिम्मेदारी निश्चित करना।

(iii) दुर्घटना रोकने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

(iv) कार्य पद्धति में सुधार हेतु सुझाव देना।

4) जाँच के आदेश (Ordering of Inquiry) (AM-705)

(i) सामान्यता: दुर्घटना की जाँच का आदेश DRM द्वारा दिया जाएगा।

(ii) गंभीर दुर्घटना के मामले में जैसा उचित हो GM या GM की ओर से CSO जाँच के आदेश दे सकता है।

5) जाँच समिति का गठन (Composition of Inquiry Committee) (AM-707)

(i) जाँच समिति में सामान्यता: संरक्षा, यांत्रिक और इंजीनियरी विभाग के अधिकारियों का समावेश होता है। यदि आवश्यक हो तो अन्य विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल किए जा सकते हैं।

(ii) आग लगने के कारण हुई दुर्घटना की जाँच की समिति में RPF विभाग को भी शामिल किया जाएगा।

(iii) यदि अन्य मंडल का कर्मचारी या इंजन दुर्घटना से कोई सम्बंध हो तो उस मंडल के प्रतिनिधि को जाँच समिति में शामिल किया जाएगा।

(iv) ऐसे किसी भी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी को समिति के सदस्य के रूप में नामित न किया जाय जिसकी साक्ष्य जाँच समिति के समक्ष दर्ज करनी हो। किन्तु CSO / DRM के व्यक्तिगत आदेश पर ऐसी नियुक्ति की जा सकती है।

6) जाँच समिति का अध्यक्ष (President of Inquiry Committee) (AM-708)

(i) संयुक्त जाँच या अधिकारी जाँच में उपस्थित अधिकारियों में से उच्चतम वेतनमान में कार्य करने वाला अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा। अधिकारियों के बीच वरीयता का निर्धारण विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों की सेवा की कुल अवधि के आधार पर किया जाएगा। उसी विभाग के अधिकारियों के बीच वरीयता का निर्धारण उस वेतनमान में नियुक्ति की तारीख के आधार पर किया जाएगा।

(ii) वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली जाँच में उपस्थित पर्यवेक्षकों में से उच्चतम वेतनमान में कार्य करने वाला पर्यवेक्षक अध्यक्ष होगा। विभिन्न विभागों के समान वेतनमान में पर्यवेक्षकों के बीच वरीयता का निर्धारण सेवा की कुल अवधि के आधार पर किया जाएगा। उसी विभाग के पर्यवेक्षकों के बीच वरीयता का निर्धारण विभाग में उनकी अपनी - अपनी वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

7) जाँच के लिए समय सीमा (Time Limit for Inquiry) (AM-703)

क्र.सं.	अवधि	कार्य का विवरण
1	D	दुर्घटना की तारीख (Date of Accident)
2	D+1	जाँच के आदेश (DRM/GM के द्वारा) यदि किसी विभाग द्वारा जिम्मेदारी न ली गयी हो।
3	D+3	दुर्घटना जाँच समिति द्वारा दुर्घटना की जाँच शुरू की जाएगी।
4	D+7	समिति द्वारा DRM / GM* को जाँच रिपोर्ट सोंपी जाएगी।
5	D+10	DRM / GM* के द्वारा जाँच रिपोर्ट की स्वीकृति करना। (यार्ड दुर्घटना के लिए Sr.DSO द्वारा स्वीकृति दी जाएगी)
6	D+15	CSO / AGM के द्वारा जाँच रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाएगा।
7	D+20	CRS को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तथा इसकी एक प्रति रेलवे बोर्ड को भी दी जाएगी।
8	D+90	जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुध्द DAR कार्यवाही की जाएगी।

*SAG Level Inquiry के लिए।

8) जाँच का समय और स्थान (Time & Place for Inquiry) (AM-709)

यदि समिति एक मत से सहमति प्रदान करती है कि कहीं और जाँच आयोजित करने से मामले की परिस्थितियों के लिए उचित रहेगा और गवाह के लिए सुविधाजनक रहेगा तो ऐसी जगह पर जाँच की जाए अन्यथा जाँच दुर्घटना स्थल पर ही अथवा निकटतम स्टेशन पर की जाए।

9) जाँच की तारीख आगे बढ़ाना (Postponing of an Inquiry) (AM-712)

(i) सामान्यता: गवाह की अनुपस्थिति के कारण जाँच स्थगित नही की जाएगी। परंतु यदि सभी साक्ष्यों को दर्ज करने के बाद निर्णय पर पहुँचना सम्भव न हो तो गवाह उपलब्ध होने तक जाँच स्थगित कर दी जाएगी।

(ii) यदि गवाह बीमार हो तो जाँच समिति का अध्यक्ष चिकित्सा प्राधिकारी को सूचित करेगा कि गवाह को जाँच में उपस्थित होने के निर्देश दिए जायें और यदि गवाह स्वयं जॉच के दौरान उपस्थित होने में असमर्थ है तो चिकित्सा अधिकारी की सहमति से अपना प्रतिनिधि भेजकर उसकी साक्ष्य दर्ज करवायेगा।

10) जाँच का स्तर (Level of Inquiry) (AM-706)

(i) सभी गंभीर दुर्घटनाओं की जाँच CRS द्वारा की जाएगी।

(ii) यदि गंभीर दुर्घटनाओं की जाँच CRS/CCRS द्वारा करना संभव न हो तो DRM की स्वीकृति से JAG जाँच समिति द्वारा जाँच की जाएगी। तथा इसका CSO द्वारा रिव्यु (Review) किया जाएगा।

(iii) सभी टक्करों (A_1 से A_4 तक) की जाँच GM की स्वीकृति से SAG जाँच समिति द्वारा की जाएगी।

(iv) अनमेन्ड गेट छोड़कर सभी परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जाँच DRM की स्वीकृति से JAG जाँच समिति द्वारा की जाएगी तथा इसका रिव्यु CSO द्वारा किया जाएगा।

(v) अनमेन्ड गेट परिणामी गाड़ी दुर्घटना एवं अन्य गाड़ी दुर्घटनाओं की जाँच DRM की स्वीकृति से Sr. Scale/Jr. Scale Officers जाँच समिति द्वारा की जाएगी।

(vi) सभी यार्ड दुर्घटनाओं की जाँच Sr.DSO/DSO की स्वीकृति से वरिष्ठ पर्यवेक्षक (Sr.Supervisors) जाँच समिति द्वारा की जाएगी।

(vii) सभी सांकेतिक दुर्घटाओं की जाँच DRM की स्वीकृति से Sr. Scale/Jr.Scale Officers जाँच समिति द्वारा की जाएगी। किंतु SPAD के मामले में मंडल स्तर पर JA Grade Officers Committee द्वारा जाँच की जाएगी जिसमें Sr.DSO/DSO समिति के एक सदस्य अवश्य होंगे।

(viii) दुर्घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए GM/DRM के द्वारा जाँच हेतु उच्च स्तरीय ऑफीसर्स कमैटी नियुक्त की जा सकती है।

(ix) इंटर रेलवे DAR का निपटारा सम्बंधित विभाग के PHOD द्वारा किया जाएगा। यदि GM स्तर पर भी इसका निपटारा संभव न हो तो ऐसे मामले रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे।

(x) उपस्करों की खराबी से सम्बंधित दुर्घटनाओं की जाँच सम्बंधित विभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों/ पर्यवेक्षकों द्वारा की जाएगी।

(xi) सभी जाँच के आदेश DRM द्वारा दिये जायेंगे। किन्तु टक्कर के मामले (A_1 से A_4 तक) में जाँच के आदेश GM द्वारा ही दिये जायेंगे।

11) जाँच कार्यवाही के दस्तावेज (Contents of Proceedings) (AM-715)

(i) समिति के सदस्यों की सूची।

(ii) दुर्घटना का विवरण और सारांश।

(iii) साक्ष्यों (witnesses) से की पूछताछ की क्रमानुसार सूची।

(iv) प्रत्येक साक्षी का नाम, पदनाम, सेवा की अवधि तथा उनके द्वारा दिये गये सबूत।

(v) समिति द्वारा निकाला गया निष्कर्ष ।

(vi) निष्कर्ष का आधार।

(vii) निम्नलिखित को यदि कोई क्षति पहुँची हो तो उसका मूल्य दर्शाने वाला विवरण -
  (a) रेलपथ या निर्माण कार्य
  (b) इंजन
  (c) चल स्टॉक
  (d) सिगनल एवं दूरसंचार उपस्कर
  (e) ऊपरी उपस्कर
  (f) सामान, पार्सल और माल

(viii) मृत या घायल यात्रियों या रेल कर्मचारियों की सूची।

(ix) सम्बंधित कागजातों का सारांश यदि आवश्यक हो।

(x) किन नियमों का उल्लंघन किया गया है।

(xi) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराये गए कर्मचारियों की सेवा का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दैरान वे जिस दुर्घटनाओं से सम्बंधित थे उनका संक्षिप्त विवरण तथा उन्हें जो दंड दिया गया था उसका विवरण।

(xii) दुर्घटना स्थल का आरेख।

(xiii) सिफारिशें।

(xiv) प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव।

(xv) उजागर हुए अन्य मामले।

12) साक्ष्य (Evidence) (AM-717)

(i) कैसे रिकार्ड किया गया (How recorded).

(ii) अनपढ़ गवाहों के साक्ष्य (Evidence of illiterate witnesses)

(iii) गवाही को किसके द्वारा रिकार्ड किया जाए (Evidence by whom recorded)

(iv) जाँच के दैरान झूँठी गवाही देना (False evidence at inquiries)

13) निष्कर्ष (Findings) (AM-718)

(i) निष्कर्ष में जाँच समिति द्वारा दुर्घटना का कारण, जिम्मेदार कर्मचारी, किन नियमों का उल्लंघन किया गया और उन्होंने कौन सा अपराध किया इन सब बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ii) निष्कर्षों से असहमति के कारण।
नोट - यदि समिति के सदस्य निष्कर्ष से सहमत नही हैं तो वे अपनी असहमति दर्ज करें और उसका कारण भी बतायें, तथा असहमति की टिप्पणी (Dissent Note) जाँच स्थल पर ही लिखी जानी चाहिए।

(iii) निष्कर्षों के कारण।

14) समिति के सुझाव (Recommendations) (AM-719)

(i) दुर्घटना रोकने के लिए समिति द्वारा सुझाव दिये जा सकते हैं।

(ii) प्रस्तावित सुझावों की व्यावहारिकता पर भी ध्यान रखना चाहिए।

(iii) इस बात की भी जाँच करनी चाहिए कि उन सुझावों से कार्य संचालन के अन्य अंगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

15) प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव (Suggestions for system improvement) (AM-720)

(i) समिति कार्य प्रणाली की जाँच करके कार्य पध्दति में सुधार के लिए सुझाव दे सकती है जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं पर रोक लग सके।

(ii) जिन नियम और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित नही किया जा सकता या कार्यान्वित करने में कठिनाई आती हो, उन नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में टिप्पणी दी जाये।

16) निष्कर्षों को स्वीकृत करना (Acceptance of findings) (AM-802)

(i) CSO द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही के दिशानिर्देशों सहित निष्कर्षों की स्वीकृति के बारे में DRM को सूचित किया जाएगा।

(ii) यदि DRM / CSO द्वारा निष्कर्ष स्वीकार न किये गये हों तो फिर से विभागीय जाँच के लिए आदेश दिये जा सकते हैं।

(iii) यदि वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की जाँच समिति के निष्कर्ष स्वीकृत न किये गये हों तो DRM / CSO द्वारा अधिकारियों के स्तर पर जाँच के आदेश दिये जाने चाहिए।

(iv) यदि संयुक्त या अधिकारियों के निष्कर्ष स्वीकृत न किये गये हों तो वह विषय उसी समिति को पुन: विचार करने के लिए वापस किया जा सकता है, या उसके स्थान पर नई समिति का गठन किया जा सकता है।

17) जाँच रिपोर्ट को प्रस्तुत करना (Submission of inquiry reports) (AM-801)

(i) जाँच समिति के अध्यक्ष द्वारा DRM को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ii) Sr.DSO / DSO द्वारा CSO को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(iii) DRM द्वारा विभागप्रमुख / विभागाध्यक्षों (PHOD / HODs) को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(iv) CSO द्वारा जाँच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजना।

(v) CSO द्वारा जाँच रिपोर्ट CRS को भेजना।

(vi) DRM द्वारा जाँच रिपोर्ट CCO को भेजना।

(vii) DRM द्वारा जाँच रिपोर्ट CSC को भेजना।

संयुक्त नोट (Joint Note)

1. जब कभी मंडल में कोई दुर्घटना होती है, मंडल के विभिन्न विभागों के जैसे- यातायात, लोको, इंजीनियरिंग, सवारी एवं माल डिब्बा तथा सिगनल एवं दूरसंचार आदि के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को दुर्घटना स्थल पर नियुक्त किया जाता है।
2. इन वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के द्वारा दुर्घटना के बारें में पहली दृष्टि में सही कारण निकालकर ज्वाइंट नोट तैयार किया जाता है ताकि जिम्मेदार कर्मचारी के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही की जा सके और प्रणाली में असफलता को दूर किया जा सके।
3. दुर्घटना स्थल पर उपस्थिति वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से दुर्घटना के कारणों की जाँच करनी चाहिए तथा मंडल रेल प्रबंधक एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को जिम्मेदार कर्मचारी /कर्मचारियों तथा सम्बंधित विभाग / विभागों के बारें में सूचित करना चाहिए।
4. प्रत्येक दुर्घटना के बाद दुर्घटना के कारणों से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना, बचाव एवं राहत अभियान शुरु करने से पहले दुर्घटना स्थल से इकट्ठा कर लेनी चाहिए जिससे कि जाँच समिति दुर्घटना के कारणों तक पहुँच सके।
5. वरिष्ठ पर्यवेक्षक दुर्घटना से सम्बंधित दस्तावेज जैसे- गति मापी, स्टेशन डायरी, सर्तकता आदेश, गाड़ी सिगनल रजिस्टर, प्राइवेट नं. शीट, और लाइन प्रवेश रजिस्टर इत्यादि को जब्त करके सील करेगा ।
6. दुर्घटना स्थल की जाँच में सम्बंधित कर्मचारियों के तथा स्वतंत्र गवाहों के बयान को, बिना चिकित्सा राहत कार्यों में बाधा डाले, दर्ज करेगा। इस जाँच में निम्न बातों को शामिल किया जायेगा :-
   (i) दुर्घटना में मृत /घायल यात्रियों के नाम तथा पते एवं टिकट नम्बर को नोट किया जायेगा।
   (ii) स्वतंत्र गवाहों के नाम तथा पते उनके सत्यापित विवरण के साथ।
   (iii) रेलपथ, चलस्टॉक, ब्रेक पावर प्रतिशत, इत्यादि की स्थिति को नोट करना एवं सबूतों को बचाकर रखना जिससे दुर्घटना के कारण निर्धारित करने में उपयोगी सिध्द हो सके।
   (iv) स्लीपरों पर निशान, अवपथित वाहनों की स्थिति, रेलपथ / वाहन का टूटा भाग तथा अन्य विवरण भी नोट किये जायेंगे। स्टेशन पर रेलपथ, सिगनल, काँटे, काँटा लीवर, इंडीकेटर, चाबियाँ, लीवर कालर / बटन कैप, बैजेज, ट्राँसमीटर चाबी, रिलेरूम की चाबी आदि की स्थिति लिखी जायेगी। रात में बुझे हुए सिगनल /ब्रेकयान लैम्प / डिस्क लैम्प आदि की स्थिति को भी नोट किया जायेगा।
   (v) डिरेलमेंट के स्थान पर या उसके निकट क्रॉसलेवल, गेज, वरसाइन आदि की स्थिति की भी माप की जायेगी।
7. विभिन्न प्रकार के विवरणों की जाँच की जायेगी और उनको अपने नोट में दर्ज करेंगे , दुर्घटना का प्रकार क्या है जैसे - सिगनल को खतरे की स्थिति में पार करना, टक्कर, निवारित टक्कर, डिरेलमेंट, मानव सहित/रहित समपार पर दुर्घटना इत्यादि को भी नोट किया जायेगा।
8. दुर्घटना से सम्बंधित प्रमुख तथ्यों का उल्लेख अलग-अलग किया जायेगा तथा दुर्घटना के विवरण एवं उसकी स्थिति का विवरण भी लिखा जायेगा। ज्वाइंट नोट में दुर्घटना का इतिहास (History), प्रेक्षण (Observations), निष्कर्ष (Findings), जिम्मेदारी (Responsibility), असहमति की टिप्पणी (Dissent Note) यदि कोई है, और दुर्घटना का रफ स्केच भी होना चाहिए। जाँच समिति के सदस्यों को जाँच में पर्याप्त सावधानी अपनानी चाहिए ताकि जाँच में भेद-भाव न हो और जाँच रिपोर्ट को सर्वसम्मति से बनाया जा सके।
9. यदि कोई सदस्य निष्कर्षों से सहमत नही है, तो वह अपना असहमति का कारण (Dissent Note) दर्ज करेगा, बाद में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना चाहिए।
10. निष्कर्षों एवं संस्तुतियों के सभी कारण सभी नियम एवं प्रक्रियाओं जिनको लागू नही किया जा सकता है या जिनको लागू करना कठिन है, अन्तिम परिणाम के रूप में उस पर टिप्पणी करनी चाहिए।